छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष 0771-3057053, 3057051 फैक्स 0771-3057024, 2429358

क्रमांक/**1966**/ प. स./2015 रायपुर, दिनांक**13/08/2015**

प्रति,

समस्त प्राचार्य
समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें
छत्तीसगढ़

विषय :- **कक्षा 9वीं एवं 11वीं के परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क बाबत् ।**

उपरोक्त विषयक लेख है कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा परीक्षा वर्ष 2015 में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा शुल्क के रूप में रुपये 80/- प्रति छात्र की दर से निर्धारित किया गया था, जिसे संशोधित कर प्रति छात्र रुपये 50/- निर्धारित किया जाता है । वर्तमान परीक्षा वर्ष 2016 के लिये भी कक्षा 9वीं एवं 11वीं का शुल्क रुपये 50/- निर्धारित किया गया है ।

अत: वर्ष 2015 के 9वीं/11वीं के परीक्षा शुल्क की अतिरिक्त राशि रुपये 30/- इस वर्ष जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क से समायोजित की जावेगी । गत व र्ष के छात्रों को रुपये 30/- संबंधित छात्र/छात्राओं के इस वर्ष की फीस में समायोजित कर लौटाया जावेगा । तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृ. क्रमांक /**1967**/ प. स. / 2015 रायपुर, दिनांक **13/08/2015**

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ. ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. समस्त संभागीय अधिकारी संभागीय कार्यालय, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर (छ. ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. लेखा अधिकारी/समस्त सहायक सचिव/कक्ष अधिकारी छ. ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. समस्त जिला परीक्षा डीलिंग सहायक छ. ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की ओर भेजकर लेख है कि समस्त मान्यता प्राप्त शालाओं की ओर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक जमा की जाने वाली शुल्क/समायोजित शुल्क का विधिवत गणना कर वित्त शाखा से अंकेक्षण करावें ।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर